

गर्भ जाँच किट (Pregnancy Test Kit)–PTK

स्वास्थ्य उपकेन्द्र एवं उससे निचले स्तर पर गर्भ जाँच किट (Pregnancy Test Kit, PTKs)
के उपयोगिता एवं अनुश्रवण हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश

सामान्य दिशा-निर्देश:

1. राज्य का प्रत्येक स्वास्थ्य उपकेन्द्र अपेक्षित मात्रा में गर्भ जांच किट प्राप्त करने के लिए पात्रता रखते हैं, किन्तु एक वर्ष में अधिकतम 150 किट ही उपलब्ध कराई जायेगी।
2. भारत सरकार द्वारा सीधे राज्य को गर्भ जांच किट की आपूर्ति की जायेगी। तत्पश्चात् राज्य के निदेशानुसार इन गर्भ जांच किट का जिलावार स्वास्थ्य उपकेन्द्रवार ससमय नियमित वितरण किया जाना है।
3. राज्य स्तर पर केन्द्र सरकार से प्राप्त कुल गर्भ जांच किट के 5 प्रतिशत को बफर स्टॉक के रूप में रख कर शेष की आपूर्ति जिलों को की जानी है। जिले में भी इसी प्रकार राज्य से प्राप्त सामग्री के 5 प्रतिशत को बफर स्टॉक के रूप में रख कर शेष की आपूर्ति स्वास्थ्य उपकेन्द्रों को की जानी है।
4. स्वास्थ्य उपकेन्द्र प्रखण्ड/जिला से प्राप्त गर्भ जांच किट का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य उपकेन्द्र से संबंधित आशाओं के बीच समान रूप से वितरित करेंगे और आशा को पुनः सामग्री की उपलब्धता उनके द्वारा खपत किये गये सामग्री के आधार पर की जायेगी।
5. आशा द्वारा प्रत्येक महीने अपने स्टॉक को पुनः स्वास्थ्य उपकेन्द्र से प्राप्त (Replenish) करेंगी।
6. गर्भ जांच किट आशा ड्रग किट का एक भाग होगा और आशा द्वारा अपने क्षेत्र में इसके माध्यम से लाभार्थियों का निःशुल्क गर्भ जांच किया जायेगा।
7. चूँकि प्रत्येक महीने आशाओं को ड्रग किट हेतु सामग्रियों को प्राप्त किया जाना है, एवं गर्भ जांच किट भी आशा ड्रग किट का एक हिस्सा है अतः गर्भ जांच किट प्राप्त करने के लिये आशा को कोई परिवहन लागत मान्य नहीं है।

भूमिका और उत्तरदायित्व:

जिला:

1. इस कार्यक्रम के सफल संचालन एवं अनुश्रवण हेतु क्षेत्रीय स्तर पर RPM एवं DAC, जिला स्तर पर अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/परिवार कल्याण नोडल पदाधिकारी के साथ DPM, DPC एवं DCM तथा प्रखण्ड स्तर पर BHM एवं BCM का दायित्व होगा।

2. मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा अपने जिलान्तर्गत जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों, सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों, प्रखण्ड स्वास्थ्य प्रबंधकों (BHM), प्रखण्ड सामुदायिक उत्प्रेरकों (BCMs) का इस योजना हेतु विस्तृत रूप से उन्मुखीकरण किया जाना है।
3. संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत ए0एन0एम0 और आशा फैंसिलिटेटरों का इस योजना हेतु विस्तृत रूप से उन्मुखीकरण किया जाना है एवं आशा फैंसिलिटेटर के माध्यम से आशाओं एवं आंगनवाड़ी सेविकाओं का उन्मुखीकरण किया जाना है।
4. इस संबंध में राज्य स्तर से प्राप्त एवं स्थानीय स्तर पर विकसित किये गये संचार संसाधनों यथा बैनर्स, पोस्टर्स, लीफलेट्स इत्यादि सभी स्तरों पर प्रसारित किया जाना है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं ए0एन0एम0

1. प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सहकर्मि चिकित्सा पदाधिकारियों (आयुष सहित), प्रखण्ड स्वास्थ्य प्रबंधक (BHM) एवं प्रखण्ड सामुदायिक उत्प्रेरक (BCM) के साथ मिलकर अपने क्षेत्र में योजना का समुचित प्रचार-प्रसार करेंगे। इस हेतु आशा फैंसिलिटेटर का भी सहयोग लिया जाना है।
2. सभी आशाओं को स्वास्थ्य उपकेन्द्र से गर्भ जांच किट की आपूर्ति सुनिश्चित कराना।
3. प्रत्येक महीने आशा द्वारा सम्पन्न कार्य का सत्यापन।
4. यह सुनिश्चित करना कि आशाओं द्वारा लाभार्थियों को गर्भ जांच किट के प्रयोग के बारे में सही जानकारी दी जा रही है एवं मासिक बैठक में आशाओं का उन्मुखीकरण करना।

आशा :

1. स्वास्थ्य उपकेन्द्र से नियमित स्टॉक प्राप्त करना।
2. अपने क्षेत्रान्तर्गत लाभार्थियों/प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं को गर्भ जांच किट की उपलब्धता के बारे में जानकारी देना।
3. प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं को गर्भ जांच किट के माध्यम से गर्भावस्था के जल्दी पता लगने के लाभ के बारे में जानकारी देना।
4. लाभार्थियों के बीच उनके जरूरत के अनुसार गर्भ जांच किट का वितरण और उनको सही तरीके से उपयोग के बारे में बताना।
5. यदि आवश्यक हो तो, परिणाम के बारे में उन्हें सहायता प्रदान करना।
(संलग्नक - II से संबद्ध)
6. आवश्यक होने पर समुचित देखभाल हेतु महिलाओं को रेफर करना।

- अगर जांच सकारात्मक है:
 - महिला गर्भावस्था जारी रखना चाहती है: लाभार्थी को प्रसव पूर्व निबंधन तथा परीक्षण के लिए रेफर करना
 - महिलाएँ गर्भ को समाप्त करना चाहती है: सुरक्षित गर्भपात सुविधा हेतु सेवा प्रदाता के यहाँ रेफर करना
 - अगर जांच नकारात्मक है:
 - महिला गर्भवती होना नहीं चाहती है: परिवार नियोजन के तरीकों के बारे में परामर्श देना, गर्भ निरोधक गोलियाँ (OCs), कंडोम उपलब्ध कराना अथवा अन्य तरीकों, यथा – कॉपर-टी, गर्भनिरोधक गोली, बंध्याकरण जैसी सुविधा हेतु निकटतम स्वास्थ्य संस्थान रेफर करना।
 - महिला गर्भवती होना चाहती है: सेवा प्रदाता के पास रेफर करना / यौन संचारित संक्रमण के जाँच (RTI/STI) परीक्षण के लिए या बांझपन के उपचार के लिए, जिस प्रकार का केस हो।
7. आशा द्वारा स्वास्थ्य उपकेन्द्र/आशा फ़ैसिलिटेटर को मासिक प्रगति प्रतिवेदन निम्नांकित प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगी (प्रपत्र A):

प्रपत्र A: आशा द्वारा प्रतिवेदन किया जानेवाला प्रपत्र

क्र०	तिथि	महिला / लाभार्थी का नाम	संपर्क विवरण के साथ पता	आयु	गर्भ जांच किट उपलब्ध करायी गयी (हाँ/ना)	जांच का परिणाम (सकारात्मक अथवा नकारात्मक)	अगर सकारात्मक है तो सेवा प्रदाता को रेफर किया गया हाँ/नहीं	अगर नकारात्मक है तो महिला को गर्भनिरोधक सामग्री के लिए परामर्श दिया गया हाँ/नहीं	कोई अन्य अभ्युक्ति	आशा का नाम	हस्ताक्षर

अनुश्रवण तंत्र (Mechanism):

गर्भ जांच किट की आपूर्ति और उपयोग (utilization) का गहन अनुश्रवण स्वास्थ्य उपकेन्द्र (SHC), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (PHC), जिला और राज्य स्तर पर किया जायेगा।

राज्य नोडल पदाधिकारी की भूमिका:

राज्य परिवार कल्याण नोडल पदाधिकारी गर्भ जांच किट की आशाओं तक अबाध आपूर्ति और समुचित उपयोग हेतु संपूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। वह निम्नांकित कार्यों के निर्वहन हेतु उत्तदायी होंगे:-

1. गर्भ जांच किट (जिसे राज्य स्तर पर प्राप्त किया गया) का उचित रूप से वितरण जिला को एवं जिला से उप स्वास्थ्य केन्द्र और आशाओं के मध्य सुनिश्चित करना।
2. यह सुनिश्चित करना कि भारत सरकार से प्राप्त कुल गर्भ जांच किट के 5 प्रतिशत को बफर स्टॉक के रूप में राज्य स्तर पर रखना।
3. योजना के अनुश्रवण हेतु प्रत्येक जिला में नोडल पदाधिकारी नामित कराना।
4. सभी जिलों के नोडल पदाधिकारियों की बैठक कर उन्हें इस संबंध में उन्मुखीकरण करना।
5. स्वास्थ्य उपकेन्द्रों की सूची तैयार करना और अनुमानित वार्षिक मांग की गणना करना।
6. प्रत्येक महीना जिलों से उपयोग (Usage) किये गये गर्भ जांच किट का विवरण संग्रह कर समेकित रूप से भारत सरकार को त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन (प्रपत्र बी) में प्रेषित करना।

प्रपत्र बी: राज्य से भारत सरकार को प्रेषित की जानेवाली गर्भजांच किट की उपयोगिता प्रतिवेदन

राज्य :						
तिमाही (Quarter):						
जिला का नाम	शुरुआती मात्रा (Opening Balance)	कुल स्टॉक प्राप्त किया गया (Stock received)	स्टॉक का उपयोग (Stock Utilized)		उपलब्ध मात्रा	अभ्युक्ति
			स्वास्थ्य उपकेन्द्र द्वारा	आशा के द्वारा		

जिला नोडल पदाधिकारी की भूमिका:

1. गर्भ जांच किट के उपयोग के लिए सभी चिकित्सा पदाधिकारियों, ए0एन0एम0 और आशाओं का उन्मुखीकरण।
2. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में गर्भ जांच किट की अनुमानित गणना में सहयोग देना (अधिकतम 150 किट प्रति उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं आवश्यक बफर स्टॉक बनाये रखने में)।
3. गर्भ जांच किट को ससमय उप स्वास्थ्य केन्द्र और आशाओं को आपूर्ति सुनिश्चित करना।
4. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यालय के लिए तैयार प्रपत्र के आधार पर गर्भ जांच किट के उपयोग का अनुश्रवण

5. प्रपत्र सी के अनुसार राज्य को प्रत्येक माह प्रगति प्रतिवेदन प्रेषित करना।

प्रपत्र c : गर्भ जांच किट के उपयोग का प्रगति प्रतिवेदन(प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वार)
(जिला से राज्य को भेजे जाने वाला विहित प्रपत्र)

जिला :								
माह :								
क्र0	प्रखण्ड/प्रा.स्वा. केन्द्रका नाम	आशाओं की संख्या	शुरुआती स्टॉक (Opening balance stock)	कुल कितना स्टॉक प्राप्त किया गया	स्टॉक उपयोग की विवरणी		शेष उपलब्ध स्टॉक	अभ्युक्ति
					स्वास्थ्य उप केन्द्र द्वारा	आशा के द्वारा		

प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र) की भूमिका :

1. प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र) आशा को सहायक पर्यवेक्षण (Supportive Supervision) प्रदान करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि गर्भ जांच किट सही तरीके से उपयोग किया जा रहा है।
2. उनके द्वारा विहित प्रपत्र (प्रपत्र D) में मासिक प्रतिवेदन संधारित करेंगे जिसमें वर्णित होगा कि-कितना स्टॉक प्राप्त किया गया, कितना वितरण किया गया, कितने आशाओं ने स्टॉक को प्राप्त किया इत्यादि ।

प्रपत्र D : गर्भ जांच किट के उपयोग का प्रगति प्रतिवेदन(स्वास्थ्य उपकेन्द्र वार)
(स्वास्थ्य उपकेन्द्र से प्रखंड को भेजे जाने वाला विहित प्रपत्र)

जिला :								
प्रखंड :								
माह :								
क्र0	स्वास्थ्य उपकेन्द्र का नाम	आशाओं की संख्या	शुरूआती स्टॉक (Opening balance stock)	कुल कितना स्टॉक प्राप्त किया गया	स्टॉक उपयोग की विवरणी		शेष उपलब्ध स्टॉक	अभ्युक्ति
					स्वास्थ्य उप केन्द्र द्वारा	आशा के द्वारा		

- उपरोक्त प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक महीना प्रखण्ड स्तर पर ए.एन.एम / आशा फैसिलिटेटर द्वारा भेजा जाना है ताकि प्रखण्ड स्तर पर यह संकलित होकर समेकित रूप से जिला को भेजा जा सके।

ए0एन0एम0 (स्वास्थ्य उपकेन्द्र स्तर पर) की भूमिका:

- स्वास्थ्य उपकेन्द्र स्तर पर ए0एन0एम0 आशाओं को गर्भ जांच किट वितरण सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी होंगी।
- ए0एन0एम0 / आशा फैसीलीटेटर के द्वारा एक रजिस्टर संधारित किया जाना है जिसके अंतर्गत प्रत्येक आशा को गर्भ जांच किट का वितरण एवं उसकी उपयोगिता का रिकार्ड संधारित होगा।
- अतिरिक्त ए0एन0एम0 भी स्वास्थ्य उपकेन्द्र में गर्भ जांच किट के कुल स्टॉक प्राप्ति एवं उसकी उपयोगिता का रिकार्ड संधारित करेंगी तथा आशा फैसीलीटेटर को सहायता करेंगी।

प्रपत्र E : स्वास्थ्य उपकेन्द्र स्तर पर आशा को गर्भ जांच किट का वितरण एवं आशा द्वारा उपयोगिता का प्रपत्र

स्वास्थ्य उपकेन्द्र का नाम :					
जिला :					
माह :					
क्र0सं	स्टॉक प्राप्ति की संख्या	आशा को वितरित किये गये स्टॉक की संख्या	स्वास्थ्य उपकेन्द्र पर उपयोग किया गया स्टॉक	शेष उपलब्ध स्टॉक	अभ्युक्ति

आशा के अनुसार विवरण

क्र0	आशा का नाम	पता संपर्क विवरण सहित	कितने स्टॉक प्राप्त किया	कितने स्टॉक उपयोग किया गया	शेष उपलब्ध स्टॉक की मात्रा	हस्ताक्षर

गर्भ जाँच किट (Pregnancy Test Kit), PTK

संलग्नक - II

1. गर्भ जाँच किट क्या है ?

- एक सामान्य पाँच मिनट की प्रक्रिया जिसे महिलाएँ शुरुआत में ही गर्भधारण की पुष्टि के लिए उपयोग कर सकती हैं।
- यह सभी आशा के पास उपलब्ध है।
- यह लाभार्थियों को निःशुल्क दी जाती है।



2. गर्भ जाँच किट का उपयोग कब करें ?


- इसका उपयोग मासिक न आने के एक सप्ताह बाद किया जाना चाहिए।

3. गर्भ जाँच किट का उपयोग कैसे करें ?

- सर्वप्रथम गर्भ जाँच किट के अवसान तिथि (Expiry date) की जाँच कर लें।
- पहला चरण : इसकी जाँच सुबह के पहला मूत्र (First morning urine) के साथ अत्यधिक उपयुक्त है।
- दूसरा चरण: साफ और सूखे शीशे के अथवा प्लास्टिक के पात्र में मूत्र (Urine) का संग्रह कर लें।
- तीसरा चरण: जाँच से पूर्व गर्भ जाँच किट को निकालिए और इसे सीधी सतह पर रखिए।
- चौथा चरण: किट में उपलब्ध कराए गए ड्रॉपर का इस्तेमाल कर इससे दो बूंद मूत्र पट्टी में "S" चिह्नित वृत्त के अंदर डालें। ध्यान रखें कि मूत्र पट्टी (Strip) के आयताकार रूप में चिह्नित "C" (Control area)/नियंत्रण क्षेत्र और "T" (Test area) या जाँच क्षेत्र में न पड़े।
- पांचवा चरण: पाँच मिनट प्रतीक्षा कीजिए। इसके बाद परिणाम पढ़िए।

4. जाँच पश्चात् परिणाम को कैसे पहचानें?

परिणाम	चित्र	अर्थ
"C" और "T" चिह्नित क्षेत्र में दो बैंगनी रेखाएँ दिखाई देती हैं।		<ul style="list-style-type: none"> • जाँच "सकारात्मक" है • महिला गर्भवती है।
"C" चिह्नित क्षेत्र में केवल एक बैंगनी रेखा दिखाई देती है।		<ul style="list-style-type: none"> • जाँच "नकारात्मक" है • महिला गर्भवती नहीं है।

परिणाम क्षेत्र में कोई रेखा दिखाई नहीं देती है।		<ul style="list-style-type: none"> जांच "अमान्य" है अगली सुबह नये/स्वच्छ किट से पुनः परीक्षण करें।
---	---	--

5. आगे क्या करें?

- अगर जांच सकारात्मक है :

- महिला गर्भावस्था जारी रखना चाहती है: लाभार्थी को प्रसव पूर्व निबंधन तथा परीक्षण के लिए रेफर करें।
- महिला गर्भ को समाप्त करना चाहती है: सुरक्षित गर्भपात सुविधा हेतु सेवा प्रदाता के यहाँ रेफर करें।

- अगर जांच नकारात्मक है:

- महिला गर्भवती होना नहीं चाहती है: परिवार नियोजन के तरीकों के बारे में परामर्श दें, गर्भनिरोधक गोलियाँ (OCPs), कंडोम उपलब्ध कराना अथवा अन्य तरीकों यथा – कॉपर-टी, गर्भनिरोधक गोली, बंध्याकरण जैसी सुविधा के लिए स्वास्थ्य संस्थान रेफर करें।
- महिला गर्भवती होना चाहती है: सेवा प्रदाता के पास रेफर करना/ यौन संचारित संक्रमण के जाँच (RTI/STI) परीक्षण के लिए या बांझपन के उपचार के लिए, जिस प्रकार का केस हो।
